

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 22, शुक्रवार, शाके 1948- जून 12, 2026 Jyaistha 22, Friday, Saka 1948- June 12, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसूचना

अलवर, दिसम्बर 03, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यूआईटी/आवंटन/भू.उप.परि./2025/10519-22 :-5 यार्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 जर्गे डायरेक्टर श्री स्पर्श खण्डेलवाल पुत्र श्री निलेश खण्डेलवाल निवासी- 268, स्कीम नं0 8, गांधी नगर जिला अलवर के द्वारा व्या0 भूखण्ड संख्या ए-113 व ए-114 योजना वेयर हाउसिंग गोदाम जिसका क्षेत्रफल 501.66 वर्गमीटर है, का वेयर हाउस एवं गोदाम से भू-उपयोग पर्यटन ईकाई होटल में उपयोग चाहा गया है। वर्तमान में मास्टर प्लान-2051 के अनुसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार वेयर हाउसिंग आरक्षित होने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 24.02.2021 एवं 06.11.2024 के अनुसार मास्टर प्लान से भिन्न उपयोग प्रस्तावित होने पर निर्णय की सक्षमता राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति में निहित है। न्यास के पत्रांक 1896-97/25 दिनांक 27.05.2025 के अनुसार प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाया गया। मुख्य नगर नियोजक कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 11.09.2025 के अनुसार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 की तालिका 02A वेयर हाउसिंग एवं गोदाम के बिन्दू ख के अन्तर्गत पर्यटन ईकाई होटल अनुमति योग्य गतिविधि है। साथ ही न.वि.वि. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 द्वारा डीपीसीआर के अनुरूप भू-उपयोग परिवर्तन हेतु स्थानीय स्तर सक्षम होने के कारण निर्णय लिये जाने का अंकन किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 06.10.2025 में लिये गये निर्णयानुसार भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आदेश दिनांक 06.10.2025 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा निर्णय, व्या0 सेयर पर्यटन ईकाई होटल एक मुफ्त लीज लीज राशि शून्य, एन.सी.पी. वर्ष 2025-26 तक - 361195/- रु0 एवं बी0एस0यू0पी0 शैल्टर फण्ड राशि 12542/-रु कुल राशि 3,73,737/-रु जर्गे रसीद संख्या 3436/30 दिनांक 01.12.2025 एवं 3435/18 दिनांक 01.12.2025 के द्वारा न्यास कोष में जमा करा दिये गये हैं। भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय निम्न शर्तों के साथ किया जाता है।

01. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसूचना दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
02. प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।

03. यह केवल मात्र आवेदित भूमि पर्यटन ईकाई होटल भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकृति, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
04. नगरीय विकास आवासन मण्डल एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा पट्टा/आवंटन शुदा भूखण्ड में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का पर्यटन इकाई होटल भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानुसार जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार लीजडीड/पूरक लीजडीड पंजीकरण कराया जावे।
05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनुसार जो भी अधिक हो, समस्त प्रावधान रखना होगा।
06. भूखण्ड पर प्रस्तावित उपयोग अनुसार न्यास से प्रचलित भवन विनियमों अनुसार सैंटबेक की सुनिश्चितता करते हुए भवन मानचित्र अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मुख्य सडक से ही अनुज्ञेय होंगे।
07. अन्य कोई देय शुल्क जमा होने से रह गया तो नियमानुसार जमा कराना होगा।
08. सलंगन :- अनुमोदित साईट प्लान

स्नेहल धायगुडे नाना,
सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।